[2008] 2 एस.सी.आर. 1056

प्रबंधन, सहायक नमक आयुक्त

बनाम

सचिव, केंद्रीय नमक मजदूर संघ

(2008 की दीवानी अपील संख्या 1324)

15 फरवरी, 2008

(एस.बी. सिन्हा एवं वी.एस. सिरपुरकर, न्यायमूर्तिगण)

श्रम विधियाँ: औद्योगिक विवाद - एक दशक से अधिक समय से कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों द्वारा- केंद्रीय सरकार के विभाग के विरुद्ध - सेवा के नियमितीकरण की मांग करते हुए - विभाग का यह रुख कि वह नियोक्ता नहीं था क्योंकि नियुक्ति कार्य का जिम्मा लेने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की ओर से की गई थी - अपील पर, यह अभिनिर्धारित किया गया: नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध स्थापित हुआ - किंतु कर्मचारियों को किसी गैर-विद्यमान पद के विरुद्ध नियमित नहीं किया जा सकता -भर्ती संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुपालन के बिना तथा संविधिक नियमों के दायरे से बाहर की गई थी - हालाँकि, कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी के हकदार थे - मामले के अनूठे तथ्यों में, समान रूप से स्थित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए गए सभी लाभ प्रदान करने का निर्देश और उसकी अनुपस्थिति में मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश - केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 - नियम 121, 129 और 130 - केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14, 16, 177 और 309।

क्षेत्राधिकार - केंद्रीय सरकार के विभाग के विरुद्ध औद्योगिक विवाद - श्रम न्यायालय का क्षेत्राधिकार - अभिनिर्धारित: प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अधिनियमन के पश्चात, श्रम न्यायालय को ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था - किंतु

ऐसे तर्क को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती - प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 - अभिवचन — पद्धति और प्रक्रिया।

उत्तरदाताओं ने एक औद्योगिक विवाद उठाया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपीलकर्ता द्वारा नियुक्त किया गया था और वे 10 से 30 वर्ष तक की अवधि से 'प्लेटफॉर्म मजदूर' के रूप में कार्य कर रहे थे और चूंकि उन्होंने एक वर्ष में 240 दिनों से अधिक का कार्य पूरा कर लिया था, इसलिए उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता का यह रुख था कि उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 121, 129 और 130 के अनुसार नमक अनुज्ञप्तिधारियों की ओर से दैनिक मजदूरी पर लगाया गया था और उन्हें भुगतान की गई मजदूरी की राशि अनुज्ञप्तिधारियों से वसूल की जाती थी। श्रम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उत्तरदाता, अपीलकर्ता के कर्मचारी थे, क्योंकि उत्तरदाता सीधे अपीलकर्ता के अधीन कार्य कर रहे हैं; उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां शुरू की गई थीं तथा उन्हें आवास और अर्जित अवकाश की सुविधाएं दी गई थीं। विनिर्दिष्ट आदेश याचिका और साथ ही विनिर्दिष्ट आदेश अपील का विनिश्चय उत्तरदाताओं के पक्ष में किया गया था। अतः वर्तमान अपील।

अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा—

अभिनिर्धारित : 1.1 अनुज्ञप्ति की मंजूरी और उसके निबंधनों तथा शर्तों से संबंधित मामले एक कानून द्वारा शासित होते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम का नियम 129 अनुज्ञप्तिधारी पर, अन्य बातों के साथ-साथ, नमक प्लेटफॉर्म के रख-रखाव का दायित्व अधिरोपित करता है। केवल उसी स्थिति में, जब उसका उचित रख-रखाव नहीं किया जाता है, अपीलकर्ता ऐसी अवधि के लिए कार्य को अपने हाथ में ले सकता है जिसे वह उचित और उपयुक्त समझे।वर्तमान प्रकृति के मामले में, अर्थात् बड़ी संख्या में अनुज्ञप्तिधारियों के नमक प्लेटफॉर्मों और सुखाने के मैदानों का एक साथ पर्यवेक्षण करने तथा उसके लिए एक विशेष उपकर लगाने के लिए अपीलकर्ता के पास क्षेत्राधिकार था, यह दर्शाने के लिए कोई संविधिक

प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह ज्ञात नहीं है कि क्या ऐसी व्यवस्था नमक आयुक्त के अनुमोदन से की गई थी। कानून की कृति होने के नाते, उनसे इसके दायरे के भीतर कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी न कि इससे बाहर। केंद्रीय सरकार के प्राधिकारियों की सभी गतिविधियों को संविधिक समर्थन प्राप्त होना चाहिए और आक्षेपित कार्रवाई इसके दायरे से परे है। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने पूर्वोक्त व्यवस्थाओं तक पहुँचने में अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है। न तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 और न ही उसके अधीन बनाए गए नियम सहायक नमक आयुक्त को ऐसा कदम उठाने के लिए सशक्त करते हैं। [कंडिका- 10, 11 और 12, 14] [1064-एफ, जी; 1065-ए, बी, सी, डी, ई]।

सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य (2006) 4 एससीसी 1 - का अनुसरण किया गया।

1.2. यह अपेक्षा की गई थी कि श्रम न्यायालय के समक्ष कम से कम कुछ ऐसे साक्ष्य लाए जाएंगे जिससे यह दर्शित हो सके कि अनुज्ञप्तिधारियोंऔर विभाग ने कोई परस्पर व्यवस्था की है। किंतु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। [कंडिका 14] [1065-ई-एफ]

1.3. स्पष्ट रूप से, कोई स्वीकृत पद विद्यमान नहीं है। उत्तरदाताओं की नियुक्ति करने से पूर्व, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है। यहाँ तक कि यह भी ज्ञात नहीं है कि कथित रिक्तियों के संबंध में रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किया गया था या नहीं। [कंडिका 15] [1065-जी, एच; 1066-ए]

1.4. पंचाट से यह पाया जाता है कि वर्ष 1973 से नियमितीकरण की एक योजना के बारे में उल्लेख किया गया था, किंतु न तो उसे इस न्यायालय के समक्ष रखा गया और न ही उस पर अवलंबन लिया गया। यदि ऐसी कोई योजना विद्यमान थी, तो उसे संवैधानिक

ढांचे के भीतर तैयार किया जाना आवश्यक था और विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधीन अंतर्निहित समता के खंडों का अनुपालन किया जाना चाहिए था। [कंडिका 16] [1066-बी, सी]

1.5. हालाँकि, इसका यह अर्थ नहीं होगा कि केंद्रीय सरकार अपने कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने से इनकार कर देगी। कर्मकारों को यह नहीं बताया गया था कि केंद्रीय सरकार किसकी ओर से कार्य कर रही थी। उन्हें न केवल नियुक्त किया गया था, बल्कि उनमें से कुछ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां भी की गई थीं। नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध का अवधारण करने के लिए प्रासंगिक परीक्षणों को लागू करते हुए, तथ्य का यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ऐसा संबंध विद्यमान था। उक्त निष्कर्ष तथ्य का शुद्ध निष्कर्ष होने के कारण इस न्यायालय पर बाध्यकारी है। [कंडिका 16] [1066-सी, डी, ई]

1.6. यदि नियमितीकरण का अर्थ स्थायित्व है, तो कर्मकारों को स्थायी नहीं बनाया जा सकता है। स्थायी पदों को भरने के लिए, प्रथमतया पदों का सृजन किया जाना चाहिए। वे स्वीकृत होने चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ जुड़े परंतुक के निबंधनों के अनुसार नियम बनाकर या केंद्रीय सरकार द्वारा उसके अनुच्छेद 177 के अधीन जारी किए गए किसी कार्यपालक आदेश के कारण निबंधन और शर्तें अधिकथित की जानी चाहिए। [कंडिका 17] [1066-ई, एफ, जी]

1.7. हालाँकि, केंद्रीय सरकार को उसके अधिकारियों में से किसी एक के कृत्य से बाध्य नहीं माना जा सकता है। नियमों के निबंधनों के अनुसार, किसी अनुज्ञप्तिधारी का कार्य सीधे नियमों के नियम 130 के अधीन अपने हाथ में लिया जा सकता था न कि उससे परे। जब कोई संविधिक कार्रवाई की जाती है, तो यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि इसे कानून के अधीन अधिकथित रीति से ही किया जाना चाहिए अन्यथा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। संविधिक प्राधिकारियों की सभी कार्रवाइयाँ कानून की चारदीवारी के भीतर ही सीमित

होनी चाहिए। यदि अपीलकर्ता श्रम न्यायालय के समक्ष लिखित कथन में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए नियमों के नियम 130 का सहारा लेने के लिए कानून के अधीन प्राधिकृत नहीं था; तो उक्त कार्रवाई को स्वयं में ही शून्य माना जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में और विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि उत्तरदाताओं की भर्ती करने में, अनुच्छेद 14 और 16 में अंतर्निहित समता के खंडों का अनुपालन नहीं किया गया था, उत्तरदाता उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। [कंडिका 19] [1067-ए, बी, सी, डी]

1.8. मामले के अनूठे तथ्यों और परिस्थितियों में, यह निर्देशित किया जाता है कि शेष छह कर्मकारों को वे सभी लाभ प्रदान किए जाने चाहिए जो उन लोगों को प्रदान किए गए हैं जो तब से सेवानिवृत्ति प्राप्त कर चुके हैं; कि यदि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया था, तो केंद्रीय सरकार, मुआवजे के रूप में, प्रत्येक कर्मकार को 1,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान करेगी; कि ऐसे उत्तरदाताओं की सेवाएं जो अभी भी कार्य कर रहे हैं, विधि के अनुसार ही समाप्त की जाएंगी अन्यथा नहीं; कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय सभी सहायक नमक आयुक्तों को नियमों के नियम 121, 129 और 130 के निबंधनों के अनुसार उनके संविधिक कर्तव्यों के निष्पादन के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेगा; और कर्मकारों को उसके लिए नियत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए तथा अपीलकर्ता, किसी संविधिक प्रतिबंध के अधीन रहते हुए, शेष छह कर्मकारों के लिए उचित मजदूरी नियत कर सकता है। [कंडिका 20] [1067-डी-एच; 1068-ए]

2. यह माना जाता है कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अधिनियमन के पश्चात औद्योगिक अधिकरण को ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। किंतु ऐसा तर्क कभी नहीं उठाया गया था। मामला लंबे समय तक श्रम न्यायालय के समक्ष लंबित रहा। इसलिए, अपीलकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष ऐसा तर्क उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। [कंडिका 18] [1066-जी, 1067-ए]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2008 की दीवानी अपील संख्या 1324

मद्रास उच्च न्यायालय के रिट अपील संख्या 644/2002 में दिनांक 22/4/2004 के अंतिम निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता के लिए के. राधाकृष्णन, किरण भारद्वाज, बी.वी. बलरामदास और विजय कुमार वर्मा।

उत्तरदाता के लिए जितेंद्र शर्मा, बी.के. पाल और पी.एन. झा।

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया

एस.बी. सिन्हा, न्यायमूर्ति 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. सहायक नमक आयुक्त, जो यहाँ अपीलकर्ता हैं, अपने क्षेत्राधिकार के भीतर नमक के उत्पादन और आपूर्ति की निगरानी के लिए उत्तरदायी हैं। नमक आयोग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (साल्ट डेस्क) से संबद्ध है।

3. संसद ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (अधिनियम) को अधिनियमित किया।

4. उक्त अधिनियम का अध्याय V नमक से संबंधित विशेष उपबंध प्रदान करता है। नमक निर्माण आदि का विषय केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अध्याय VI में निपटाया गया है। नियम 102 अनुज्ञप्ति के बिना नमक के निर्माण को प्रतिषिद्ध करता है। ऐसी अनुज्ञप्ति उक्त अधिनियम के उपबंधों के अर्थ के भीतर कलेक्टर द्वारा मंजूर की जानी होती है।

उक्त नियमों के नियम 129 और 130 इस प्रकार हैं:

नियम 129. अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सड़कों, चैनलों, जलाशयों आदि को अच्छी स्थिति में बनाए रखना - प्रत्येक नमक कारखाने का अनुज्ञप्तिधारी, अपने स्वयं के व्यय पर, कारखाने की सीमाओं के भीतर, कलेक्टर के संतोषप्रद रूप में, उन सभी सड़कों और सभी चैनलों, जलाशयों, तटबंधों, सुखाने के मैदानों, प्लेटफॉर्मों और अन्य कार्यों का निर्माण करने और उन्हें अच्छी मरम्मत की स्थिति में बनाए रखने के लिए बाध्य होगा जो नमक के निर्माण और भंडारण के लिए उपयोग किए जाते हैं या उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं, और कारखाने को जलप्लावन से बचाने के लिए या लवण-जल की आपूर्ति के लिए कहीं भी स्थित किसी भी कार्य के लिए भी बाध्य होगा।

नियम 130. केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा कार्य कब हाथ में लिए जा सकते हैं - यदि अनुज्ञप्तिधारी नियम 129 में विनिर्दिष्ट कार्यों को निष्पादित करने में विफल रहता है, या केंद्रीय सरकार की मंजूरी से, जब कभी यह वांछनीय प्रतीत होता है कि ऐसा कोई कार्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा हाथ में लिया जाना चाहिए, तो कलेक्टर ऐसे कार्यों को निष्पादित करवा सकता है और उसकी लागत, ऐसे अनुपातों में जिन्हें वह उचित समझे, अनुज्ञप्तिधारियों से वसूल कर सकता है।

5. उत्तरदाताओं के बारे में कहा गया था कि उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्तियों के धारकों द्वारा नियुक्त किया गया था। सहायक नमक आयुक्त, तूतुकुड़ी द्वारा उन्हें नियमित नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद एक औद्योगिक विवाद उठाया गया। समुचित सरकार ने न्यायनिर्णयन के लिए श्रम न्यायालय को निम्नलिखित निर्देश दिया:

"क्या सहायक नमक आयुक्त, तूतुकुड़ी का 12 कर्मकारों (सूची संलग्न) को इस आधार पर नियमित रोजगार देने से इनकार करना न्यायसंगत है कि उन्हें अनुज्ञप्तिधारियों

की ओर से नमक प्लेटफॉर्म मजदूर के रख-रखाव के लिए नियोजित किया गया है और उनकी नियुक्ति विभाग द्वारा केवल वार्षिक अनुमानों के प्रयोजन के लिए की जाती है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?"

6. उत्तरदाताओं के अनुसार, चूंकि उन्हें सहायक नमक आयुक्त द्वारा नियुक्त किया गया था और वे 10 से 30 वर्ष तक की अवधि से प्लेटफॉर्म मजदूर के रूप में कार्य कर रहे थे और इसके अतिरिक्त चूंकि उन्होंने एक वर्ष में 240 दिनों से अधिक का कार्य पूरा कर लिया था, इसलिए उन्हें सेवा में नियमित किया जाना चाहिए था।

श्रम न्यायालय के समक्ष, अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क उठाया गया था कि नियमों के नियम 121, 129 और 130 के अनुसार नमक अनुज्ञप्तिधारियोंकी ओर से प्लेटफॉर्म मजदूरों को दैनिक मजदूरी पर लगाया गया था और उन्हें भुगतान की गई मजदूरी की राशि अनुज्ञप्तिधारियों से विशेष उपकर के रूप में वसूल की जाती है।

यह कहा गया था कि उक्त पद्धति तब अपनाई गई थी जब प्लेटफॉर्म और सुखाने के मैदानों का उपयोग कई अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा था।

हालाँकि, विद्वान श्रम न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।

विद्वान श्रम न्यायालय ने अपने आदेश में अभिनिर्धारित किया:

1) स्वीकृत रूप से, उत्तरदाता नमक विभाग में कार्य कर रहे हैं।

2) वे कई दशक पहले नियुक्त किए गए थे और सीधे विभाग के अधीन कार्य कर रहे हैं।

3) विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाहियां शुरू की जाती हैं।

4) उन्हें विभाग द्वारा आवास सुविधाएं और साथ ही अर्जित अवकाश की सुविधाएं दी गई हैं।

उक्त आधार पर, यह अभिनिर्धारित किया गया कि वे स्वयं विभाग द्वारा नियोजित कर्मकार हैं।

7. इसके विरुद्ध एक रिट याचिका दायर की गई थी और उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया:

"उन विवरणों के अलावा, कर्मकारों में से एक अरुलामनन्दम की कर्मकार साक्षी संख्या 1 के रूप में परीक्षा की गई थी। उन्होंने श्रम न्यायालय के समक्ष दृढ़तापूर्वक कहा कि ये कर्मकार कई दशक पहले नियुक्त किए गए हैं और सीधे नमक विभाग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य कर रहे हैं। उनके साक्ष्य से आगे यह देखा गया है कि उन्हें आवास सुविधा, अर्जित अवकाश लाभ आदि प्रदान किए गए हैं। कर्मकार साक्षी संख्या 1 के माध्यम से प्रदर्श डब्ल्यू.1 से डब्ल्यू.27 चिह्नित किए गए थे, जो स्पष्ट रूप से कर्मकारों के दावे को सिद्ध करते हैं। स्वीकृत रूप से, प्रबंध तंत्र ने अपने प्रति-कथन में लिए गए अपने रुख के समर्थन में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था। यह भी मेरे संज्ञान में लाया गया है कि, उप नमक आयुक्त, मद्रास की दिनांक 20.12.1991 की प्रदर्श डब्ल्यू.3 की कार्यवाही, जो सचिव, केंद्रीय नमक मजदूर संघ को संबोधित है, स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि सभी कर्मकार अवकाश लाभों के पात्र हैं। कर्मकार साक्षी संख्या 1 का मौखिक साक्ष्य और कर्मकार की ओर से प्रस्तुत प्रचुर दस्तावेजी साक्ष्य उनके मामले को सिद्ध करते हैं। प्रबंध तंत्र की ओर से किसी अन्य विपरीत साक्ष्य के अभाव में, मेरा यह विचार है कि श्रम न्यायालय का उनके दावे के अनुसार उनकी सेवा को नियमित करने का पंचाट पारित करना पूरी तरह से न्यायसंगत है। इस न्यायालय के समक्ष किसी अन्य

सामग्री के अभाव में, मुझे श्रम न्यायालय के पंचाट में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा कारण नहीं दिखता। परिणामस्वरूप, रिट याचिका विफल होती है और इसे खारिज किया जाता है। कोई लागत नहीं।"

8. इसके विरुद्ध दायर एक अंतःन्यायालय अपील को भी आक्षेपित निर्णय द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया है:

"अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों से, हम पाते हैं कि औद्योगिक विवाद वर्ष 1992 में उठाया गया है। मामले के अनूठे तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह मत है कि भले ही इस सीमा तक का निर्देश कि नियमितीकरण सही है, ऐसे निर्देश को इस सीमा तक संशोधित किया जाना चाहिए कि नियमितीकरण को जनवरी 1992 से प्रभावी किया जाना चाहिए और उस आधार पर, संबंधित सभी बारह व्यक्तियों को आवश्यक लाभ प्रदान किए जाएंगे।"

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधाकृष्णन ने निवेदन किया:

(1) कर्मकारों द्वारा उठाया गया औद्योगिक विवाद पोषणीय (मेंटेनेबल) नहीं था क्योंकि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी की सेवा से संबंधित मामले का न्यायनिर्णयन प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अधीन गठित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष किया जाना आवश्यक है।

(2) चूंकि अपीलकर्ता एक संविधिक कर्तव्य का पालन कर रहे थे, इसलिए आक्षेपित आदेश अवैध है।

(3) आयोग एक उद्योग नहीं है और चूंकि वहाँ कोई स्वीकृत पद नहीं था, इसलिए आक्षेपित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है।

10. दूसरी ओर, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जितेंद्र शर्मा ने निवेदन किया:

(1) औद्योगिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रश्न कभी नहीं उठाया गया था, इसलिए इस न्यायालय के समक्ष पहली बार इसे उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए;

(2) विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा तथ्य का यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अपीलकर्ता और उत्तरदाताओं के बीच 'नियोक्ता और कर्मचारी' का संबंध विद्यमान है, अतः इस न्यायालय द्वारा उसमें हस्तक्षेप उचित नहीं है; तथा

(3) किसी भी स्थिति में, चूंकि बारह कर्मकारों में से छह पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

10. अनुज्ञप्ति की मंजूरी और उसके निबंधनों तथा शर्तों से संबंधित मामले एक कानून द्वारा शासित होते हैं। नियम 129 अनुज्ञप्तिधारी पर, अन्य बातों के साथ-साथ, नमक प्लेटफॉर्म के रख-रखाव का दायित्व अधिरोपित करता है। केवल उसी स्थिति में, जब उसका उचित रख-रखाव नहीं किया जाता है, अपीलकर्ता ऐसी अवधि के लिए कार्य को अपने हाथ में ले सकता है जिसे वह उचित और उपयुक्त समझे। हमारे समक्ष ऐसा कोई संविधिक प्रावधान नहीं रखा गया है जिससे यह दर्शित हो सके कि अपीलकर्ता के पास वर्तमान प्रकृति के मामले में, अर्थात् बड़ी संख्या में अनुज्ञप्तिधारियों के नमक प्लेटफॉर्मों और सुखाने के मैदानों का एक साथ पर्यवेक्षण करने तथा उसके लिए एक विशेष उपकर लगाने का क्षेत्राधिकार था।

11. हम नहीं जानते कि क्या ऐसी व्यवस्था नमक आयुक्तालय के अनुमोदन से की गई थी। कानून की कृति होने के नाते, उनसे इसके दायरे के भीतर कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी न कि इससे बाहर।

12. अतः, हमारा यह मत है कि अपीलकर्ता ने पूर्वोक्त व्यवस्थाओं तक पहुँचने में अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है। न तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 और न ही उसके अधीन बनाए गए नियम सहायक नमक आयुक्त को ऐसा कदम उठाने के लिए सशक्त करते हैं।

13. इसके अतिरिक्त हम यह समझने में विफल हैं कि यदि अपीलकर्ता का रुख सही है, तो किस आधार पर कर्मकारों को आवास सुविधाएं या अर्जित अवकाश आदि प्रदान किए गए हैं।

14. यह वास्तव में गंभीर चिंता का विषय है कि केंद्रीय सरकार के प्राधिकारी स्वयं में ही कानून बनते जा रहे हैं। हमारा यह कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि उक्त अधिकारी की ओर से सद्भाव की कोई कमी थी, बल्कि हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्रीय सरकार के प्राधिकारियों की सभी गतिविधियों को संविधिक समर्थन प्राप्त होना चाहिए और आक्षेपित कार्रवाई इसके दायरे से परे है।

हम आगे इस बात की भी सराहना नहीं करते कि इस प्रकृति के मामले में भी कोई साक्ष्य क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया था। कम से कम यह तो किया ही जा सकता था कि श्रम न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट किया जाता कि अनुज्ञप्तिधारियों और विभाग ने कोई परस्पर व्यवस्था की है। यह अपेक्षा की गई थी कि कम से कम उक्त सीमा तक, श्रम न्यायालय के समक्ष कुछ साक्ष्य लाए जाएंगे। यह स्थापित करने के लिए कुछ साक्षियों की परीक्षा की जानी चाहिए थी कि संविधिक ढांचे के भीतर उस संबंध में कोई नीतिगत विनिश्चय लिया

गया है।

15. स्पष्ट रूप से, कोई स्वीकृत पद विद्यमान नहीं है। उत्तरदाताओं की नियुक्ति करने से पूर्व, अनुच्छेद 14 और 16 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है। हम यह भी नहीं जानते कि कथित रिक्तियों के संबंध में रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किया गया था या नहीं। नियमितीकरण का अर्थ स्थायित्व नहीं है। *सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य* [(2006) 4 एस.सी.सी 1] में, नियमों से बाहर की गई किसी भी नियुक्ति को इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अवैध ठहराया गया है।

16. हम पंचाट से पाते हैं कि वर्ष 1973 से नियमितीकरण की एक योजना के बारे में उल्लेख किया गया था, किंतु न तो उसे हमारे समक्ष रखा गया और न ही श्री शर्मा ने उस पर कोई अवलंबन लिया। यदि ऐसी कोई योजना विद्यमान थी, तो उसे संवैधानिक ढांचे के भीतर तैयार किया जाना आवश्यक था और विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधीन अंतर्निहित समता के खंडों का अनुपालन किया जाना चाहिए था।

हालाँकि, इसका यह अर्थ नहीं होगा कि केंद्रीय सरकार अपने कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने से इनकार कर देगी। कर्मकारों को यह नहीं बताया गया था कि केंद्रीय सरकार किसकी ओर से कार्य कर रही थी। उन्हें न केवल नियुक्त किया गया था, बल्कि उनमें से कुछ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां भी की गई थीं। नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध का अवधारण करने के लिए प्रासंगिक परीक्षणों को लागू करते हुए, तथ्य का यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ऐसा संबंध विद्यमान था।

उक्त निष्कर्ष तथ्य का शुद्ध निष्कर्ष होने के कारण हम पर बाध्यकारी है। इसलिए, यह प्रश्न उठाया जाना चाहिए कि उसके क्या परिणाम होंगे।

17. यदि नियमितीकरण का अर्थ स्थायित्व है, तो कर्मकारों को स्थायी नहीं बनाया

जा सकता है। स्थायी पदों को भरने के लिए, प्रथमतः पदों का सृजन किया जाना चाहिए। वे स्वीकृत होने चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ संलग्न परंतुक के निबंधनों के अनुसार नियम बनाकर या केंद्र सरकार द्वारा उसके अनुच्छेद 177 के तहत दिए गए कार्यपालिका आदेश के कारण निबंधनों और शर्तों को अधिकथित किया जाना चाहिए।

18. हम यह मानेंगे कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अधिनियमन के बाद औद्योगिक अधिकरण को ऐसे प्रश्न का निर्णय करने की क्षेत्राधिकार नहीं थी। लेकिन ऐसा कोई तर्क कभी नहीं उठाया गया था। मामला लंबे समय तक श्रम न्यायालय के समक्ष लंबित रहा। इसलिए, हमें अपीलकर्ता को हमारे समक्ष पहली बार ऐसा तर्क उठाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

19. हालांकि, यह बात ध्यान में रखनी होगी कि केंद्र सरकार को उसके अधिकारियों में से किसी एक के कार्य से बाध्य नहीं माना जा सकता है। नियमों के निबंधनों के अनुसार, किसी अनुज्ञप्तिधारी का कार्य सीधे नियमों के नियम 130 के तहत लिया जा सकता था न कि उससे परे। यह सर्वस्वीकृत है कि जब कोई संविधिक कार्य निष्पादित किया जाता है, तो उसे संविधि के तहत अधिकथित रीति से ही किया जाना चाहिए अन्यथा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। संविधिक प्राधिकारियों के सभी कार्य संविधि के दायरे के भीतर ही सीमित होने चाहिए। यदि अपीलकर्ता श्रम न्यायालय के समक्ष लिखित कथन में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए नियमों के नियम 130 का आश्रय लेने के लिए संविधि के तहत प्राधिकृत नहीं था, तो उक्त कार्य को ही अपने आप में शून्य माना जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तरदाताओं की भर्तियां करने में, अनुच्छेद 14 और 16 में अंतर्विष्ट समता के खंडों का अनुपालन नहीं किया गया था, उत्तरदाता उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।

20. हम, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, इसलिए निर्देश देंगे:

1. शेष छह कर्मकारों को वे सभी लाभ प्रदान किए जाने चाहिए जो उन लोगों को प्रदान किए गए हैं जो इस बीच सेवानिवृत्त प्राप्त कर चुके हैं।

2. यदि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया था, तो केंद्र सरकार मुआवजा के रूप में प्रत्येक कर्मकार को 1,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान करेगी।

3. ऐसे उत्तरदाताओं की सेवाएं जो अभी भी कार्य कर रहे हैं, विधि के अनुसार के अलावा समाप्त नहीं की जाएंगी।

4. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त नियमों के नियम 121, 129 और 130 के निबंधनों के अनुसार अपने संविधिक कर्तव्यों के निष्पादन के संबंध में सभी सहायक नमक आयुक्तों को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।

5. कर्मकारों को उसके लिए नियत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए।

6. अपीलकर्ता, किसी संविधिक प्रतिबंध के अधीन रहते हुए, शेष छह कर्मकारों के लिए उचित मजदूरी नियत कर सकता है।

21. श्रम न्यायालय द्वारा पारित पंचाट को अपास्त किया जाता है। अपील को उपरोक्त निर्देशों के अधीन रहते हुए 10,000/- रुपये (रुपये दस हजार मात्र) की निर्धारित लागत के साथ स्वीकार किया जाता है।

के.के.टी. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।